

95136822372

क. 1

संख्या: 2054पीडरूडडी/अभि0-2001-190पीडरूडडी-
2001

श्रेणिक,

समाप्त/समाप्त/समाप्त,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-18,
उत्तरांचल देहरादून।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 11 जुलाई, 2001

विषय:-

उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक
द्वीपों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

सहोदय,

उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त राज्य के विशेष
भौतिक संरचना की दृष्टिगत रखाते हुए इस नवगठित राज्य के सर्वांगीण
विकास की गति प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की भूमिका
अति महत्वपूर्ण हो गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में ---
सड़क निर्माण, मेतु निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण उनका रखर-रखाव एवं
आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से सम्पादित
किया जाता है। प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थानों की सड़कों, सम्पर्क मार्गों
एवं मेतुओं से जोड़ कर प्रदेश के आर्थिक विकास की गति को मजिद प्रदान करने
के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के वर्तमान संरचनात्मक द्वीपों का पुनर्गठन
आवश्यक हो गया है। अतः विभाग के निम्नानुसार पुनर्गठन हेतु श्री राज्यपाल
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को उम्मी वेतनक्रम में विभागाध्यक्ष
घोषित किया जाता है। विभागाध्यक्ष का मुख्यालय मिमहाल देहरादून में रहेगा।

2- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का एक अतिरिक्त पद सृजित किया
जाता है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर-2
का पद पदो में ही सृजित है। अतः अल्मोड़ा एवं पौड़ी में मुख्य अभियन्ता
स्तर-2 का प्रत्येक कार्यालय पूर्ववत् चले रहेंगे।

प्रमाण: 2

477
374
127

3. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के साथ स्टाफ आफिसर के रूप में अधिमासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी का तैनात किया जायेगा।

4. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 12 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के 02 पद पूर्व से सृजित हैं। अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 12 में से 02 पद अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) स्तर के अधिकारी, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर के रूप में वि. भागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात रहेंगे।

5. अधिमासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 60 पदों के सापेक्ष 58 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 58 पदों में से 50 पद 50 सिविल खण्डों (राजधानी में बड़े हुए भवनोपयोगों के लिये एक अतिरिक्त खण्ड सहित), 2 अधिमासी अभियन्ता जोनल मुख्यालयों पर मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के स्टाफ आफिसर के रूप में तथा 06 अधिमासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष के कार्यालय में तैनात रहेंगे। अधिमासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के कुल 5 पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से चार अधिमासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक), विद्युत/यान्त्रिक खण्डों में तैनात रहेंगे तथा एक अधिमासी अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात किया जायेगा।

6. राजधानी में बड़े हुए निर्माण कार्य के लिये एक अतिरिक्त सिविल खण्ड सृजित किया जा रहा है जिसके लिये अधिमासी अभियन्ता (सिविल) का पद उक्त 58 पदों में सम्मिलित है।

7. राष्ट्रीय मार्ग खण्डों एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक राष्ट्रीय मार्ग वृत्त स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त के रूप में देहरादून में स्थापित किया जाता है। जयपुरीखल में कार्यरत तीन खण्डों के पर्यवेक्षण का कार्य अधीक्षण - अभियन्ता, 36 वीं वृत्त, लो० नि० वि०, पौड़ी द्वारा किया जायेगा। देहरादून में स्थापित यह राष्ट्रीय मार्ग वृत्त क्रमशः रुड़की, काशीपुर एवं उत्तर-काशी राष्ट्रीय मार्ग खण्डों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करेगा तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। विभाग में पूर्व से कार्यरत श्रेष्ठ सिविल के भौ तथा वि०/या० के दो वृत्त तथा सिविल के 49 एवं वि०/या० के चार खण्ड यथावत् कार्य करते रहेंगे।

क्रमशः... 3... पर

: 3:

8. राष्ट्रीय राज मार्ग खण्डों एवं क्षेत्रीय सड़क खण्डों के लिये प्रति चार सड़क खण्डों के लिये प्रति खण्ड चार के स्थान पर तीन सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जायेगा।
9. राष्ट्रीय राज मार्ग एवं क्षेत्रीय सड़क खण्डों में 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड का मानक एवं क्षेत्रीय सड़क खण्डों में 14 से 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड के मानक के स्थान पर 12 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड का मानक निर्धारित किया जाता है। विद्युत/यान्त्रिक खण्ड हेतु प्रति खण्ड 12 अवर अभियन्ता तथा प्रति सिविल खण्ड में एक विद्युत/यान्त्रिक अवर अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है।
10. विभाग में वित्तीय अनुशासन एवं नियन्त्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून में वित्त नियन्त्रक का एक पद सृजित किया जाता है। यह पद वित्त एवं लेखा संघर्ष से भरा जायेगा। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता, वि०/वी० के तीन, अवर अभियन्ता, वि०/वी० के 12, अवर अभियन्ता प्राविधिक के पाँच, मानचित्रकार के 15, रेखाकार के दो, कार्यालय अधीक्षक के 09, मुख्य लिपिक का एक, वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक के 12, सहायक लेखाधिकारी का एक, लेखाकार के दो, सहायक लेखाकार के 05, सहायक वास्तुविद् के दो, भू-वैज्ञानिक का एक, अमीन के 69, सहायक जी०/कार वालक के 17, खण्डीय लेखाकार के एक पद का भी सृजन किया जाता है, जिनका विवरण निम्नान्त उल्लिखित है।
11. सहायक शोध अधिकारी, भण्डार अभिरक्षक, वाटर मैन, नील मुद्रक, नायब-तहसील दार, सुपर वाइजर कानूनगो के संलग्न मृत धोषित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात् स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1	18400-22400	01	विभागाध्यक्ष
2.	वित्त नियन्त्रक	वि०/लेखा संघर्ष	01	मुख्यालय पर
3.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2	16400-20000	02	अल्मोड़ा/पौड़ी
4.	अधीक्षक अभियन्ता सिविल	12000-16500	12	1. वृत्त मुख्यालय-10 2. विभागाध्यक्ष मुख्यालय पर दो पद

कुल: पृष्ठ 4 पर.

: 4 :

1	2	3	4	5
5. अधीक्षण अभियन्ता, वि०/या०	12000-16500	02	वि०/या० वृत्तों के हेतु	
6. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल	10000-15200	58	1. सिविल खण्ड मुख्यालय हेतु-47 2. स्नोस्चोखण्ड-3 3. जौनल मुख्यालय-02 4. विभागाध्यक्ष मुख्यालय अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय-06 पद	
7. अधीक्षण अभियन्ता, वि०/या०	10000-15200	05	1. वि०/या० खण्ड मुख्यालय-04 2. विभागाध्यक्ष मुख्यालय अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय पर एक	
8. सहायक अभियन्ता, सिविल	8000-13500	193	1. स्नोस्चो व नोडल सिविल खण्ड-4 प्रति खण्ड $16 \times 4 = 64$ पद 2. अन्य सिविल खण्ड-3 प्रति खण्ड $34 \times 3 = 102$ पद 3. सिविल वृत्त में एक सहायक अभियन्ता प्रति वृत्त $10 \times 1 = 10$ 4. जौनल मुख्यालय प्रति जौनल-2 पद $2 \times 2 = 4$ 5. विभागाध्यक्ष मुख्यालय अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय पर 13 पद	
9. सहायक अभियन्ता, वि०/या०	8000-13500	19	1. वि०/या० खण्डों में 4 चार सहायक अभियन्ता प्रति खण्ड $4 \times 4 = 16$ पद 2. विभागाध्यक्ष मुख्यालय अभियन्ता स्तर-1 मुख्यालय पर-03	
10. अवर अभियन्ता, सिविल	4500-7000	664	1. स्नोस्चो तथा नोडल सिविल खण्ड-16 प्रति खण्ड $16 \times 16 = 256$ पद 2. अन्य सिविल खण्ड 12 प्रति खण्ड $34 \times 12 = 408$ पद	कुल...

: 5 :

1	2	3	4	5
11. अवर अभियन्ता वि०/यौ०	4500-7000	1. विद्युत-40 2. यान्त्रिक 58 कुल 98	1. वि०/यौ० खण्ड 4 प्रति खण्ड-12x4=48 2. सिविल खण्ड-50 प्रति खण्ड-01 = 50 पद	
12. अवर अभियन्ता प्रतिविधि	5000-8000	81	1. नोडल सिविल खण्ड हेतु 02 प्रति खण्ड 13x2=26 2. अन्य सिविल खण्ड हेतु 01 पद प्रति खण्ड 37x1=37 पद 3. सिविल वृत्त में एक प्रति वृत्त = 10 पद 4. विभागाध्यक्ष मुख्य- अभियन्ता, स्तर-1 04 पद 5. जूनल मुख्यालय-02 प्रति जून 2x2=4	
13. मानचित्रकार	4000-6000	77	1. सिविल खण्ड हेतु एक प्रति खण्ड 50x1=50 2. सिविल वृत्त हेतु एक प्रति वृत्त = 10 3. जूनल मुख्यालय एक 2x1=2 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय 15	
14. रेजाकार	2550-3200	04	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय पर दो पद तथा जूनल मुख्यालय पर एक प्रति जून	
15. कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	11	जूनल मुख्यालय-02 मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, विभागाध्यक्ष मुख्यालय पर 09 पद	
16. कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	12	वृत्त मुख्यालय पर-12	
17. मुख्य लिपिक	4500-7000	54	खण्डीय कार्यालय हेतु 54 1. सिविल खण्ड-50 2. वि०/यौ० खण्ड-4	

क्रमशः.....

: 6 :

1	2	3	4	5
18.	वैयक्तिक सहायक/ कन्सोल अपरेटर	5500-10500	1	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, के साथ सम्बद्ध
	वैयक्तिक सहायक/ कन्सोल अपरेटर	5500-9000	2	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के साथ सम्बद्ध
	आधुनिक लिपिक/कन्सोल अपरेटर	5000-8000	15	अधीक्षण अभियन्ताओं/वरिष्ठ वास्तुविद् के साथ सम्बद्ध
	आधुनिक लिपिक/कन्सोल अपरेटर	4000-6000	65	अधीक्षासी अभियन्ताओं/वास्तुविद् उप निदेशक के साथ सम्बद्ध
19.	वरिष्ठ सहायक	4500-7000	178	1. छण्डीय कार्यालय-108 ✓ 2. वृत्त मुख्यालय-36 3. जोनल मुख्यालय-12 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, मुख्यालय-22 पद
20.	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	522	1. छण्डीय कार्यालय-477 पद 2. वृत्तीय कार्यालय-24 3. जोनल मुख्यालय-06 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, मुख्यालय पर-15
21.	कनिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री अपरेटर	3050-4590	465	1. छण्डीय कार्यालय-324 ✓ 2. वृत्तीय कार्यालय-84 3. जोनल मुख्यालय-20 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 37 पद
22.	सहायक लेखाधिकारी	लेखा संचर्ग	01	विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, मुख्यालय-01
23.	लेखाकार	लेखा संचर्ग	03	तदेव
24.	सहायक लेखाकार	4000-6000	05	तदेव
25.	वरिष्ठ वास्तुविद्	12000-16500	01	तदेव
26.	वास्तुविद्	10000-15200	01	तदेव
27.	सहायक वास्तुविद्	8000-13500	02	तदेव
28.	उप निदेशक, अन्वेषण	10000-15200	01	तदेव
29.	भू-वैज्ञानिक	8000-13500	02	प्रति जोनल कार्यालय हेतु एक
30.	विधि सहायक	5000-8000	02	विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 मुख्यालय
31.	अमीन	2750-4400	100	50x28 सिविल छण्ड हेतु 100 पद
32.	दफ्तारी	2750-4400	72	1. छण्डीय कार्यालय-54 2. वृत्तीय कार्यालय-12 3. जोनल मुख्यालय-2 4. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 104 पद

कुल:

1	2	3	4	5
33.	चपरासी	2550-3200	289	1. खण्डीय कार्यालय 54x4=216 2. वृत्तीय कार्यालय 12x3=36 3. जौनल मुख्या 02x4=08 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 विभागाध्यक्ष, वीरपुर=29
34.	जीप/कारवाहनक	3050-4590	137	1. खण्डीय कार्यालय 54x2=108 2. वृत्तीय कार्यालय 12x1=12 3. जौनल मुख्या 02x2=4 4. मुख्य अभि. स्तर-1 कार्यालय में 13
35.	डाक रनर	2550-3200	10	मुख्य अभि. स्तर-1 कार्यालय में 10
36.	खण्डीय लेखाकार	विभाग के अधिष्ठान हय पर स.जी. द्वारा तैनाती की जाती है।		54 खण्डीय कार्यालयों हेतु।

निम्नलिखित पदों के मृत घोषित करते हुये उनके सम्मुख अंकित रिक्त पदों को समाप्त किया जाता है :-

1. भण्डार अतिरिक्त 28 पद
2. नायब तहसीलदार 02 पद
3. सुपरवाइजर कानूनी 02 पद
4. नील मुद्रक 49 पद
5. सहायक शोध अधि-कारी 01 पद
6. वाटर मैन 67 पद

भारतीय,
[Signature]
[Stamp] 10/7/2001
सचिव।

संख्या 054/1/डी.एच.डी.-अभि-2001 तद्विनाक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, कैलाशगढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, एलाहाबाद 209001।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ-क्षेत्र, लो0मि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. परिणत कैलाशगढ़, देहरादून तथा काष्ठाध्यक्ष, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
6. माडर हुला।

आज्ञा से,

[Signature]
[Stamp] सचिव।

संख्या 834/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 टी0सी0-2

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 6 अक्टूबर 2006

विषय:-लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

महोदय,

योजनागत व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य मार्गों में वृद्धि, विभिन्न निर्माण के डिपॉजिट कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के अतिरिक्त कार्यों के कारण लोक निर्माण विभाग के वर्तमान खण्डों के लिए प्रतिखण्ड कार्य बढ़ा है। निर्माण कार्यों की इस वृद्धि के अनुरूप विचारोपरान्त राज्य के गठन के उपरान्त शासनादेश सं० 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0-2001-190 पी0डब्ल्यू0डी0-2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुए प्रथम चरण में तकनीकी पदों के ढांचे का पुनर्गठन शासनादेश संख्या 1253/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 दिनांक 12.07.06 द्वारा किया जा चुका है। द्वितीय चरण में गैर तकनीकी तथा फील्ड स्तरीय पदों के ढांचे का पुनः पुनर्गठन निम्न तालिका में वर्णित विवरणानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. तालिका के स्तम्भ 02 पर अंकित पदनाम के सम्मुख स्तम्भ 03 पर वेतनमान, स्तम्भ 04 पर स्वीकृत पदों की संख्या तथा स्तम्भ 05 पर पद स्थापना किया जाता है।

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	01	01-विभागाध्यक्ष कार्यालय
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1	5500-9000	24	03 विभागाध्यक्ष कार्यालय 02 क्षेत्रीय मुख्यालय 06 वृत्त कार्यालय 13 नोडल खण्डों हेतु

3.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	5000-8000	67	07 विभागाध्यक्ष 06 वृत्त कार्यालय 54 खण्डीय कार्यालय
4.	मुख्य सहायक	4500-7000	351	27 विभागाध्यक्ष कार्यालय 08 (2×4) जूनल मुख्यालय 48 (12×4) सिविल / वि०/यॉ० वृत्त 52(13×4) नोडल खण्डों हेतु 216 (54×4) खण्डीय कार्यालयों हेतु
5.	प्रवर सहायक	4000-6000	431	27 विभागाध्यक्ष 08 (2×4) जूनल कार्यालय 48 (12×4) सिविल /वि०/ यॉ० वृत्त 78 (13×6) नोडल खण्डों हेतु 270(54×5) अन्य खण्ड
6.	कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	3050-4590	386	26 विभागाध्यक्ष कार्यालय 12 (2×6) जूनल मुख्यालय 60 (12×5) सिविल/वि/यॉ वृत्त 288 खण्डीय कार्यालय
7.	वैयक्तिक सहायक (1)	6500-10500	04	02 विभागाध्यक्ष कार्यालय 02 क्षेत्रीय कार्यालय
	वैयक्तिक सहायक (2)	5500-9000	16	04 विभागाध्यक्ष कार्यालय 12 अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय
8.	आशुलिपिक (1)	5000-8000	28	06 विभागाध्यक्ष कार्यालय 04 क्षेत्रीय कार्यालय 18 नोडल खण्ड एवं रा० मा० खण्ड
	आशुलिपिक (2)	4000-6000	49	अधिशाली अभि० कार्यालय
9.	सहायक लेखाधिकारी	7450-11500	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय
10.	लेखाकार	5500-9000	03	विभागाध्यक्ष कार्यालय
11.	सहायक लेखाकार	4500-7000	05	03 विभा० कार्यालय 02 जूनल मुख्यालय

12.	जीप / कार चालक			
(I)	ग्रेड - IV	3050-4590	39	-
(II)	ग्रेड - III	4000-6000	34	-
(III)	ग्रेड - II	4500-7000	33	-
(IV)	ग्रेड - I	5000-8000	06	-
13.	अमीन	2750-4400	122	122 (61×2) सिविल खण्डों हेतु
14.	दफ्तरी	2610-3540	85	04 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्यालय 12 वृत्तीय कार्यालय 67 खण्डीय कार्यालय
15.	अर्दली	2610-3540	06	04 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्यालय
16.	डाकरनर	2550-3200	10	06 विभागाध्यक्ष 04(2×2) जोनल कार्यालय
17.	अनुसेवक	2550-3200	286	27 विभागाध्यक्ष 10(2×5) जोनल कार्यालय 48 (12×4) वृत्तीय कार्यालय 201 (67×3) खण्डीय कार्यालय
18.	चौकीदार	2550-3200	83	02 विभागाध्यक्ष 02 जोनल कार्यालय 12 वृत्तीय कार्यालय 67 खण्डीय कार्यालय
19.	डोजर / जे० सी० बी० आपरेटर	3050-4590	80	-
20.	ट्रक / टिपर / ट्रैक्टर / ट्रैक्टर / रोलर चालक			
(I)	ग्रेड - IV	3050-4590	95	-
(II)	ग्रेड - III	4000-6000	82	-
(III)	ग्रेड - II	4500-7000	81	-
(IV)	ग्रेड - I	5000-8000	14	-
21.	क्लीनर	2550-3200	244	-
22.	कम्प्रेसर / मिक्सर / सी० सी० मिक्चर / स्टोन कैंशर आपरेटर	2610-3540	58	मृत संवर्ग

23.	मैकेनिक	2750-4400	32	मृत संवर्ग
24.	सहायक मैकेनिक	2610-3540	07 ;	मृत संवर्ग
25.	यूनिट मैनेजर	3050-4590	01	मृत संवर्ग
26.	रोलर फोरमैन	3050-4590	10	मृत संवर्ग
27.	फीटर	2610-3540	03	मृत संवर्ग
28.	इलैक्ट्रीशियन	2750-4400	46	—
29.	हैल्पर	2550-3200	37	—
30.	मेसन	2610-3540	23	—
31. (I)	कारपेंटर	2550-3200	21	—
31 (II)	पलम्बर	2550-3200	21	
32.	स्वीपर	2550-3200	20	—
33.	माली	2550-3200	45	मृत संवर्ग
34.	कुक	2550-3200	17	निरीक्षण भवन तथा सर्किट हाऊस हेतु -
35.	वर्क एजेन्ट / मिस्त्री	2610-3540	792	प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता के साथ -01
36.	मेट	2610-3540	944	—
37.	बेलदार	2550-3200	3960	
38.	चौकीदार	2550-3200	367	खण्ड स्तर पर स्टोर के लिए चिन्हित हैं (मृत संवर्ग)
39.	वर्क सुपरवाइजर	3050-4590	31	मृत संवर्ग
40. (I)	वैल्डर	2550-3200	02	मृत संवर्ग
(II)	बेयरा	2550-3200	02	मृत संवर्ग
(III)	गेट कीपर	2550-3200	01	मृत संवर्ग
(IV)	स्टोर मुंशी	2610-3540	03	मृत संवर्ग
(V)	फोटो अभिकर्ता	2610-3540	01	मृत संवर्ग
(VI)	लोहार	2550-3200	02	मृत संवर्ग

4. कमांक 22 पर कम्प्रेसर ऑपरेटर, कमांक 23 पर मैकेनिक, कमांक 24 पर सहायक मैकेनिक, कमांक 25 पर यूनिट मैनेजर, कमांक 26 पर रोलर फोरमैन, कमांक 27 पर फीटर, कमांक 33 पर माली, कमांक 38 डिवीजन के अन्तर्गत स्थापित स्टोर के चौकीदार के पद, कमांक 39 पर वर्क सुपरवाइजर तथा कमांक 40 पर वैल्डर/बेरा/गेटकीपर/लोहार/स्टोरमुंशी/ फोटोअभिकर्ता के संवर्ग को मृत

-5-

संवर्ग घोषित किया जाता है तथा इसके विरुद्ध जो पद सृजित किये जा रहे हैं, वह अधिसंख्य पद होंगे।

5. शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी/अभि0-2001-190 पी0डब्ल्यू0डी0/ 2001 दिनांक 11 जुलाई, 2001 में विभाग द्वारा पूर्व गठित संरचना में इंगित वित्त नियंत्रक तथा खण्डीय लेखाकार के पद यथावत रहेंगे।
6. उपरोक्त शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0-2001-190 पी0डब्ल्यू0डी0/2001 दिनांक 11 जुलाई, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या 834/111(1)/06 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तरांचल देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संयुक्त सचिव)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 06 जून 2012

विषय- वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आधार पर लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिक संवर्ग का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2054/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या-834/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 06.10.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अन्य पदों के साथ-साथ आशुलिपिक संवर्ग का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-875/XXVII(7)/न0प्रति0/11, दिनांक 08.03.11 के द्वारा वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के आधार पर राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व में गठित आशुलिपिक संवर्ग के विद्यमान चार स्तरीय संवर्गीय ढांचे के स्थान पर पदों को 50:35:15 के अनुपात में विभाजित करते हुये त्रिस्तरीय ढांचा रखा गया है।

3. कार्मिक विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-963/XXX(2)/11, दिनांक 25.07.11 के द्वारा वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08.03.11 के क्रम में आशुलिपिक संवर्ग के त्रिस्तरीय ढांचे के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग के पदनामों में परिवर्तित करके निम्न प्रकार से पदनाम प्रतिस्थापित किये गये हैं:-

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
1.	आशुलिपिक	वेतन बैंड रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/-	वैयक्तिक सहायक
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	वेतन बैंड रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/-	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
3.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	वेतन बैंड रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/-	वैयक्तिक अधिकारी

4. अतः इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-1280/82व्यग-अधि0, 011, दिनांक 01.07.11 एवं पत्र संख्या-94/82व्यग-अधि0/2011, दिनांक 16.03.12 जिसके द्वारा शासन के उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में पुनः आशुलिपिक संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे में पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिक संवर्ग के पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 25.07.11 एवं वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08.03.11 के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत ही चार स्तरीय संवर्गीय ढांचे के स्थान पर 50:35:15 के अनुपात में विभाजित करते हुये निम्न प्रकार से त्रिस्तरीय ढांचा स्वीकृत करने की तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता संवर्ग:-

क्र० सं०	पदनाम	पूर्व में कुल सृजित पदों की संख्या	निर्धारित अनुपात के अनुसार पदों का विभाजन	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार संशोधित पद	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
1.	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन रु० 2800	18	18 x 50%=09	09	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सौधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी०ओ०ई० ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा संचालित सी०सी०सी० पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी)।
3.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन रु० 4200		18 x 35%=06	06	यह पद द्वितीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक वाले वैयक्तिक सहायक के पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
4.	वैयक्तिक अधिकारी, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन रु० 4600		18 x 15%=03	03	यह पद तृतीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुये न्यूनतम 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद धारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
	योग-	18		18	

वृत्तीय संवर्ग:-

क्र० सं०	पदनाम	पूर्व में कुल सृजित पदों की संख्या	निर्धारित अनुपात के अनुसार पदों का विभाजन	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार संशोधित पद	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
1.	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन रु० 2800	12	12 x 50%=06	06	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी०ओ०ई० ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा संचालित सी०सी०सी० पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी)।
3.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन रु० 4200		12 x 35%=04	04	यह पद द्वितीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक वाले वैयक्तिक सहायक के पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
4.	वैयक्तिक अधिकारी, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन रु० 4600		12 x 15%=02	02	यह पद तृतीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुये न्यूनतम 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद धारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
	योग-	12		12	

खण्डीय संवर्ग:-

क्र० सं०	पदनाम	पूर्व में कुल सृजित पदों की संख्या	निर्धारित अनुपात के अनुसार पदों का विभाजन	त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार संशोधित पद	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
1.	वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन रु० 2800		67x 50%=34	34	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी०ओ०ई० ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा संचालित सी०सी०सी० पाठ्यक्रम अथवा

					माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटरी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन-रु0 4200	67	$67 \times 35\% = 23$	23	यह पद द्वितीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक वाले वैयक्तिक सहायक के पद धारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
4.	वैयक्तिक अधिकारी, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन-रु0 4600		$67 \times 15\% = 10$	10	यह पद तृतीय स्तर के होंगे। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुये न्यूनतम 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा वाले ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद धारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
	योग-	67		67	

5. उपरोक्त त्रिस्तरीय ढांचा बनाये जाने पर सम्बन्धित ग्रेड वेतन में निर्धारित पदों से अधिक कार्मिक नहीं होंगे।

6. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या-2054/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या-834/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 06.10.06 उक्त सीमा तक संशोधित त्त जायेगा।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या: 259/111(1)/12-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 टी0सी0-04, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
8. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून
फाईल - 595/182-पग-12 दि. 19/7/12 (धारेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1 - मुख्य अभियन्ता कुमाऊं/गढ़वाल/पारंपरिक निर्माण
अनुभाग, पौड़ी/देहरादून।
2 - मुख्य अभियन्ता - - - - -
3 - मुख्य अभियन्ता - - - - -
2405 लोक निर्माण - - - - -
आदेशाधीन अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

डा० एस०एस० संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 01 दिसम्बर, 2012

विषय- लोक निर्माण विभाग के निनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश

संख्या-834/III(1)/06-190(पी०डब्ल्यू०डी०)/01 टी०सी०-II दिनांक 06.10.06, शासनादेश

संख्या-753/III(1)/10-190(पी०डब्ल्यू०डी०)/01 टी०सी०-IV, दिनांक 02.06.10 एवं

शासनादेश संख्या-259/III(1)/12-190(पी०डब्ल्यू०डी०)/01 टी०सी०-IV, दिनांक 06.07.12

के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन करते हुये संशोधित किया गया था। शासनादेश

संख्या-1768/III(1)/11-190(पी०डब्ल्यू०डी०)/01, दिनांक 12.12.11 के द्वारा तकनीकी पदों

का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया। तकनीकी संवर्ग में पदों के संशोधित पुर्नगठन

के फलस्वरूप तदनुसार अतिरिक्त नए से सृजित क्षेत्रीय कार्यालय, वृत्तीय कार्यालय एवं

खण्डीय कार्यालयों में निनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य गैर तकनीकी संवर्ग के पदों के सृजन हेतु

मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०दे० के पत्र संख्या-1809/03व्यक्त-सा०/2010, दिनांक

12.12.11, के द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः शासन को उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपसन्त मुझ के कहने का निर्देश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के शासनादेश

संख्या-1768/III(1)/11-190(पी०डब्ल्यू०डी०)/01, दिनांक 12.12.11 के द्वारा तकनीकी

संवर्ग में संशोधित पुर्नगठन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-834/III(1)/06-

190(पी०डब्ल्यू०डी०)/01 टी०सी०-2, दिनांक 06.10.06, शासनादेश संख्या-753/III(1)/10-

190(पी०डब्ल्यू०डी०)/०१ टी०सी०-४, दिनांक ०२.०६.१० एवं आसनादेश संख्या-२५९/III(१)/
 १९०(पी०डब्ल्यू०डी०)/०१ टी०सी०-IV, दिनांक ०६.०७.१२ के द्वारा सृजित मिनिस्ट्रीयल
 संवर्ग के पदों एवं गैर तकनीकी पदों के अतिरिक्त नवीन सृजित क्षेत्रीय कार्यालय, वृत्तीय
 कार्यालय एवं खण्डीय कार्यालय हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग एवं अन्य गैर तकनीकी संवर्ग में उक्त
 पूर्व शासनादेशों में सृजित पदों के अतिरिक्त कुल १५१ (लिपिक वर्गीय कर्मचारी, वैयक्तिक
 सहायक संवर्ग एवं लेखा संवर्ग) संवर्गीय पद निम्न तालिका के कॉलम-५ में अंकित
 विवरणानुसार पुर्नगठन/सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रमुख अभियन्ता/जोन्त कार्यालय संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित ढाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
१	२	३	४	५	६
१	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६००	०३	०१	०४
२	प्रशासनिक अधिकारी	रु० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००	२२	०२	२४
३	मुख्य सहायक	रु० ५२००-२०२०० ग्रेड पे २६००	२२	०३	२५
४	प्रवर सहायक	रु० ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००	३६	०७	४३
५	कनिष्ठ सहायक	रु० ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००	३९	०६	४५
		योग-	१२२	१९	१४१

वैयक्तिक सहायक संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित ढाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
१	२	३	४	५	६
१	वैयक्तिक अधिकारी	रु० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६००	०४	०१	०५
२	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	रु० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००	—	०३	०३
३	वैयक्तिक सहायक	रु० ५२००-२०२०० ग्रेड पे २६००	—	०१	०१
		योग-	०४	०५	०९

लेखा संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित डाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	लेखाकार	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4200	03	02	05
2	सहायक लेखाकार	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2800	05	04 जोनल हेतु	09
		योग-	08	06	14

वृत्तीय संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित डाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4800	12	-	12
2	प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4200	22	04	26
3	मुख्य सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2800	30	04	34
4	प्रवर सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2400	50	08	58
5	कनिष्ठ सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 1900	54	08	62
		योग-	168	24	192

वैयक्तिक सहायक संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित डाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4200	04	05	09
2	वैयक्तिक सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2800	-	-	-
		योग-	04	05	09

खण्डीय संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित ढाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4600	70	—	70
2	प्रशासनिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4200	124	15	139
3	मुख्य सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2800	175	14	189
4	प्रवर सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2400	291	24	315
5	कनिष्ठ सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 1900	311	25	336
		योग-	971	78	1049

वैयक्तिक सहायक संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित ढाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	वैयक्तिक अधिकारी	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4600	10	—	10
1	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4200	24	—	24
2	वैयक्तिक सहायक	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2800	33	14	47
		योग-	67	14	81

चालक संवर्ग-

क्र० सं०	पूर्व में सृजित ढाँचा/ पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	कार/जीप चालक ग्रेड-I	रु० 9300-34800 ग्रेड पे 4200	06	—	06
2	कार/जीप चालक ग्रेड-II	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2800	33	—	33
3	कार/जीप चालक ग्रेड-III	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 2400	34	—	34
4	कार/जीप चालक ग्रेड-IV	रु० 5200-20200 ग्रेड पे 1900	35	24 आउट सोर्सिंग से	63
		योग-	112	24	136

3. यदि विभाग द्वारा वाहन किराये पर लिया जाता है, तब 24 पदों के सापेक्ष चालक को आऊट सोर्सिंग से लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निर्देशन एवं 051-निर्माण-03-विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामों डाला जायेगा।

5 यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 123/XXVII-7/11, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गमित किया गया है।

भवदीय,

(डा० एस०एस० संधू)
सचिव

संख्या: 1427 / 111(1)/12-190(गैजटियरी/डी०)/01 टी०सी०-IV तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाँऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

दृष्टांत सं 01/03 व्यय पुनर्गठन/12 दि 17.11.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन एवं कार्यप्रभारित वर्ग की वि. नि. वि. विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून।
- (2) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमाँऊ/रा. मा. रा. डी. बी. काँटी-टी/२०/लो. नि. वि. कोडी/अल्मोड़ा/देहरादून।
- (3) गार्ड फाईल।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रेषक,
अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

विषय- लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2054/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0-1253/111(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768/111(1)/11-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 12.12.11 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-1457/अध्यक-सा0/13 दिनांक 30.09.13 के द्वारा संवर्गीय, पी0एम0जी0एस0वाई0, ए0डी0बी0 तथा वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त वृत्त/खण्ड/पदों का पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3. अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 12.12.11 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त संवर्गीय एवं नि:संवर्गीय पदों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से अतिरिक्त पद/खण्ड/वृत्त/क्षेत्रीय कार्यालय में तालिका के सलम-5 में इंगित अस्थाई पद, प्रचलित वेतनमान में दिनांक 28.02.14 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित करने को श्री राज्यपाल सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क)- लोक निर्माण विभाग (सिविल) के नये कार्यालयों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (संवर्गीय)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त पद संख्या	पुर्नगठन के उपरान्त कुल पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	वेतनमान रु0 37400-67000 ग्रेड पे रु0 8900	04	01	05	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु।

2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड पे रु० 7600	17	03	20	जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत हेतु
3.	अधिशाली अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड पे रु० 6600	85	04	89	02 रा०मा० खण्डों हेतु एवं 02 मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के सृजित नये कार्यालयों हेतु स्टाफ आफिसर।
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड पे रु० 5400	333	11	344	02 खण्डों हेतु 08 एवं 03 वृत्तीय कार्यालयों हेतु 01-01 सहायक अभियन्ता।
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4200	399	24	923 शासनादेश के अनुसार उपरोक्त पदों में 85% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।	12 कनि० अभि० प्रति रा०मा० खण्ड हेतु 2X12=24
6.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतनमान रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4600	—	07	—	मु०अ० स्तर-I (देहरादून)-01 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-01 3 वृ० का०-03 2 रा०मा०खण्ड-02
7.	प्रधान सहायक	वेतनमान रु० 9300-34800 ग्रेड पे रु० 4200	—	07	—	मु०अ० स्तर- I (देहरादून)-01 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-01 3 वृ० का०-03 2 रा०मा०खण्ड-02
8.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमान रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2800	—	07	—	मु०अ० स्तर- I (देहरादून)-01 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-01 3 वृ० का०-03 2 रा०मा०खण्ड-02
9.	कनिष्ठ सहायक	वेतनमान रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2000	—	14	—	मु०अ० स्तर-I (देहरादून)-02 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-02 3 वृ० का०-06 2 रा०मा०खण्ड-04

10.	वैयक्तिक सहायक	वेतनमान रु० 5200-20200 ग्रेड पे रु० 2800	—	07	—	मु०अ० स्तर- I (देहरादून)-01 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-01 3 वृ० का०-03 2 रा०मा०खण्ड-02
11.	चौकीदार (आउट सोर्सिंग)	रु० 10000/-	—	07	—	मु०अ० स्तर- I (देहरादून)-01 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-01 3 वृ० का०-03 2 रा०मा०खण्ड-02
12.	अनुसेवक / (Multipurpose worker) (आउट सोर्सिंग)	रु० 10000/-	—	14	—	मु०अ० स्तर- I (देहरादून)-02 मु०अ० स्तर- I (हल्द्वानी)-02 3 वृ० का०-06 2 रा०मा०खण्ड-04

- (1) मुख्य अभियन्ता स्तर-1- विभागीय कार्यों के समुचित अनुप्रवण, तकनीकी नियंत्रण एवं कार्यों में गति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ 02 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं, जिनके मुख्यालय पौड़ी एवं अल्मोडा के अतिरिक्त देहरादून एवं हल्द्वानी में भी स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी एवं देहरादून में कार्यों की अधिकता को देखते हुये इन क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व से विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी एवं देहरादून में तैनात किया जायेगा।
 - (2) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)- प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिगत पूर्व से जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत में वृत्तीय कार्यालय स्थापित नहीं हैं, इन जनपदों हेतु उक्त 03 अधीक्षण अभियन्ता के पद सृजित किये गये हैं। आपदा के दृष्टिगत जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में अस्थाई रूप से सृजित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद को उक्त सृजित होने वाले पदों में समायोजित किया जायेगा।
 - (3) अधिशासी अभियन्ता (सिविल)- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बी०आर०ओ० के नियंत्रणाधीन कतिपय मार्गों का राज्य के अर्धन राष्ट्रीय राजमार्गों में समायोजन/इस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत सिडकुल यूनिट, पन्तनगर (निसंवर्गीय खण्ड) को समाप्त करते हुये रा०मा० खण्ड, श्रीनगर एवं रा०मा० खण्ड, चम्बा के रूप में नये खण्ड स्थापित किये गये हैं।
4. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या-2054/111(1)/06-190(पी०डब्ल्यू०डी)/01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या-1253/111(1)/06-190(पी०डब्ल्यू०डी)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768/111(1)/11-190(पी०डब्ल्यू०डी)/01, दि० 12.12.11 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-2059, लोक निर्माण कार्य-80 सामान्य-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 निदेशन तथा 04.1 निर्माण-03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1187/XXVII(7)/13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-2795 / III(1)/13-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, भा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

केंद्र - 14.01

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 09 जुलाई, 2014

विषय:- नये राष्ट्रीय राजमार्गों के सापेक्ष नये खण्डों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-774/05व्यक-सा0/14, दि० 27.05.14 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सृजित राष्ट्रीय राजमार्गों के मुख्यालय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पत्र दिनांक 27.05.14 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में सृजित राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्तर्गत मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग चम्बा खण्ड को रुद्रप्रयाग में स्थानान्तरित करते हुये शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड के मुख्यालय यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या: 1182/111(1)/14-190(पीडब्ल्यूडी)/01, टीसी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित वैरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखण्ड।
5. लोक निर्माण अनुभाग-2/3,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगली)
उप सचिव

गृह क्र. 172/05 लाक. सा. 1/14

दिनांक 11/07/14

प्रतिलिपि: निम्नलिखित वें सूचनाओं एवं आवश
कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1/II क्षेत्रीय कार्यालय
रा. मा. 0/स्वी. 0/मी. स्म. 0/सी. स्म. 0/वर्ड 0/वर्ल्ड बैंक लो. 0/नि. 0/वि.
पौड़ी / अल्मोड़ा / देहरादून / हल्द्वानी / देहरादून को। इस आशय से प्रेषित कि
प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित किया जावे।
2. अधीनस्थ उपायमता रा. मा. 0 वृत्त लो. 0/नि. 0/वि.
देहरादून / हल्द्वानी
3. आदि. शासी उपायमता रा. मा. 0 ला. 0/लो. 0/नि. 0/वि.
रूपमात्र।

4- आई. ए. ए. ए. ए.

प्र. 14
11.7.14
प्र. 14
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

डी०एस० गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय- लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संवर्गीय पदों का पुनर्गठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-1399/111(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 23.09.2015, शासनादेश सं०-245/111(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 28.02.2015, शासनादेश सं०-2795/111(1)/13-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं०-2054/111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं०-1253/111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768/111(1)/11-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.12.11 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया था।

2. कालान्तर में विभागीय कार्यों में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत विभाग द्वारा पत्र संख्या-568/03व्यक-सा०/14, दिनांक 24.03.2015 के माध्यम से संरचनात्मक ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट हुये हैं:-

(1) वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत विभिन्न वाह्य सहायित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य प्रचलित हैं। वर्तमान में सिविल कार्यों, पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यों, ए०डी०बी० के कार्यों एवं नावार्ड के कार्यों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का सृजन किया गया है। वर्ल्ड बैंक, ए०डी०बी० आपदा के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय पद सृजित हैं।

(2) इसी प्रकार पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय एवं संवर्गीय दोनों प्रकार से पद सृजित हैं। पी०एम०जी०एस०वाई० की योजनाओं ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने के कारण इस संवर्ग के अन्तर्गत सृजित 152 संवर्गीय पदों एवं 76 सृजित निःसंवर्गीय पदों कुल 228 पदों को निःसंवर्गीय पदों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) चूंकि उपरोक्तानुसार विभिन्न योजनाओं के कार्यों हेतु अलग-अलग स्तर पर विभिन्न अधिकारी इन योजनाओं के निर्माण कार्यों का सम्पादन करा रहे हैं, अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि फील्ड स्तर पर सभी वाह्य सहायित कार्यक्रमों का एकीकरण किया जायेगा, ताकि प्रचलित निर्माण कार्यों का परीक्षण अनुश्रवण सुचारु रूप से सम्पादित हो सके।

3. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 12.12.2011, 26.12.2013, 19.05.2014, 30.06.2014, 28.02.2015 एवं 23.09.2015 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष निम्नांकित संवर्गीय पदों के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-4 के सापेक्ष स्तम्भ-5 के अनुसार संवर्गीय पदों की प्रचलित वेतनमान में पुनरीक्षित सृजन/अतिरिक्त पद सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नवीन पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पद एवं दायित्व:-

क. सं.	पद का नाम	वेतनमान (₹ में)	पूर्व में सृजित पदों की संख्या (PMGSY) को घटाकर	नवीन सृजित पदों की संख्या		अभ्युक्ति
				संवर्गीय	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड पे0 रु 7600	18 ✓	03 ✓	21 ✓	विभागाध्यक्ष कार्यालय में ब्रिज सैल हेतु 01 पद, 02 ए0डी0बी0, यू0एस0आर0आई0पी0 के निःसंवर्गीय से संवर्गीय हेतु सृजित।
2.	अधिरासी अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड पे0 रु 6600	90	03	93 ✓	03 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु (01 पद स्लोप स्टबलाईजेशन, 02 क्वालिटी ऑडिट हेतु सृजित)।
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600-39100 ग्रेड पे0 रु 5400	353	12	365	10 पद पर्वतीय जिलों के खण्ड, अस्कोट, डीडिहाट, कपकोट, थराली, गोपेश्वर एवं 02 पद मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यों हेतु सृजित।
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300-34800 ग्रेड पे. रु 4600	877	11	888	10 पर्वतीय जिलों के खण्ड, अस्कोट, डीडिहाट, कपकोट, थराली, गोपेश्वर एवं 01 पद मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यों हेतु सृजित।
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	9300-34800 ग्रेड पे. रु 4600	100	12	112	01 पद पूर्व सृजित खण्ड, पाबौ हेतु, 02 पद पूर्व सृजित रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग, 01 पद ए0डी0बी0 खण्ड, दुगडडा, 03 पद पूर्व सृजित सिविल वृत्त, चम्पावत, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग, 02 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 वृत्त, टिहरी एवं पिथौरागढ हेतु 02 पूर्व सृजित रा0मा0 वृत्त हेतु 01 पद क्षेत्रीय कार्यालय रा0मा0 देहरादून हेतु। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड एवं वृत्तों हेतु पूर्व से सृजित 07 पदों को अन्य सिविल/रा0मा0/वृत्तों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी के दृष्टिगत पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्थान पर उक्त कार्यालयों हेतु यथावत रखा जा रहा है।
6.	मानचित्रकार	9300-34800 ग्रेड पे. रु 4200	88	19	107	05 पूर्व सृजित खण्ड, पाबौ, गौरसैंग, गुप्ताकाशी, रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर, रा0मा0 खण्ड, रुद्रप्रयाग, 01 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 खण्ड, दुगडडा, 03 पूर्व सृजित सिविल वृत्त, बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, 04 पूर्व सृजित जोन, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ, टिहरी, 02 पूर्व सृजित रा0मा0 वृत्त, देहरादून एवं हल्द्वानी, 02 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 वृत्त, टिहरी एवं पिथौरागढ, 02 पूर्व रा0मा0 जोन देहरादून एवं हल्द्वानी हेतु सृजित। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड एवं वृत्तों हेतु पूर्व से सृजित 07 पदों को अन्य सिविल/रा0मा0/वृत्तों में

						मानचित्रकार को कमी के दृष्टिगत पीओएमओजीओएसओवाईओ के स्थान पर उक्त कार्यालयों हेतु यथावत रखा जा रहा है।
7.	सहायक भू-वैज्ञानिक	15600-39100 ग्रेड पे0 रु0 5400	04	02	06	02 नवसृजित जोन पिथौरागढ़ एवं टिहरी हेतु सृजित।
8.	विधि सहायक	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	05	03	08	03 नवसृजित जोन टिहरी, पिथौरागढ़ एवं देहरादून हेतु सृजित।
9.	सहायक शोध अधिकारी	15600-39100 ग्रेड पे0 रु0 5400	00	02	02	पूर्व सृजित 02 निःसंवर्गीय/आऊट सोर्सिंग के पदों को संवर्गीय में सृजित किया गया है। क्योंकि कनिष्ठ सहायक, रसायनज्ञ का पद संवर्गीय है तथा इनकी पदोन्नति का पद सहायक शोध अधिकारी है।
10.	अमीन	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2000	122	23	145	06 नवसृजित खण्ड, पार्वी, गौरसैण, लक्खर, एवं रा0मा0 खण्ड, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर एवं डोईवाला प्रत्येक खण्ड हेतु 02-02 पद एवं 11 ए0डी0बी0 खण्डों हेतु 01-01 पद सृजित।

मुख्य अभियन्ता संवर्ग

	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4600	26	03	29	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।
	प्रधान सहायक	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	27	03	30	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।
	वरिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2800	45	03	48	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।
	कनिष्ठ सहायक/	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2000	49	06	55	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 02-02 पद सृजित।
	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4600	05	03	08	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01-01 पद सृजित।

खण्डीय संवर्ग

	खण्डीय लेखाकर	9300-34800 ग्रेड पे. रु0 4200	54	27	81	वर्ष 2001 के बाद सृजित 08 सिविल खण्ड, 06 रा0मा0 खण्ड, 02 विद्युत/यांत्रिक खण्ड एवं 11 ए0डी0बी0 खण्डों पर प्रकाश कुल 27 खण्डों हेतु 01-01 पद सृजित।
	वैयक्तिक सहायक	5200-20200 ग्रेड पे. रु0 2800	41	05	46	05 नवसृजित खण्ड, लक्खर, डोईवाला, पोखरी, पार्वी एवं गौरसैण हेतु 01-01 पद सृजित।

4. इस प्रकार शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश सं0-1399/111(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 23.09.2015, शासनादेश सं0-245/111(1)/15-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 28.02.2015, शासनादेश सं0-2795/111(1)/13-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं0-2054/

111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0-1253/111(1)/06-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768/111(1)/11-190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 12.12.11 में सृजित पदों में उक्तानुसार परिवर्तन एवं उक्तानुसार अतिरिक्त पद सृजन किये जा रहे हैं। प्रश्नगत शासनादेशों में सृजित अन्य पद, जो इस शासनादेश में उल्लिखित नहीं हैं, पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-2059, लोक निर्माण कार्य-80 सामान्य-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 निदेशन तथा 051 निर्माण-03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-188/XXVII(2)/15, दिनांक 11, दिसम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव

संख्या:- 1813/111(1)/15-190(PWD)/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-2/7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

डा0एस0गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(पुनर्गठन विभाग उत्तराखण्ड)

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 14 जुलाई, 2016

विषय : राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन विषयक।

महोदय,

स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 875/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उत्तराखण्ड वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक अधिकारी महासंघ की मांगों पर विचार करते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में विद्यमान त्रि-स्तरीय ढांचे के स्थान पर निम्नानुसार चार-स्तरीय संवर्गीय ढांचा पुनर्गठित किया जाय :-

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रु0)		पदों का प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती/पदोन्नति की प्रक्रिया
		वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1.	वैयक्तिक सहायक	5200-20200	2800	48	(1) सीधी भर्ती द्वारा। (2) शैक्षिक अर्हता- पूर्ववत्।
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	35	वैयक्तिक सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800	4600	15	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कुल 15 वर्ष की

					पदोन्नति द्वारा।
4.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600-39100	5400	02	वैयक्तिक अधिकारी के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

- कलेक्ट्रेट एवं मण्डलायुक्त कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पूर्व सृजित पदों में से ही मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के पदनाम से वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 में 01-01 पद रखा जाय।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा यथासमय/यथाप्रक्रिया सुसंगत सेवा नियमावली में उक्तानुसार संशोधन कर लिया जाय।
- ऊपरिलिखित शासनादेश संख्या 875/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डी0एस0 गब्याल)
सचिव।

संख्या- / XXVII(7)343/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वै०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7
संख्या /XXVII(7)35(3)/2013
देहरादून: दिनांक-२२ अक्टूबर, 2018

कार्यालय-झाप

राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन विषयक शासनादेश संख्या-131/XXVII(7)35(3)/2013 दिनांक 14 जुलाई, 2016 में आदेशित संशोधन करते हुए सन्यक्त विचारोपसृत लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् स्टाफिंग में लागू किये जाने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	पुनर्गठित वेतन संरचना (रु०)		वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
		वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1.	वैयक्तिक सहायक	5200-20200	2800	48	44
2.	अतिरिक्त वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	35	30
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800	4800	15	15
4.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600-39100	5400	02	06

- वैयक्तिक सहायक के पद हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ-साथ हिन्दी आधुनिक में गले 80 शब्द प्रति मिनट व टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ ही कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान डी०जे०ई० ए०सी०सी० संसाधनों द्वारा सम्बन्धित एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अथवा किसी माध्यमता प्राप्त संधान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।
- सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावली में यथाप्रक्रिया संशोधन कर लिये जायें।
- कृपया उक्तानुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गमित करने का कार्य करें।
- उपरिलिखित शासनादेश संख्या-131/XXVII(7)35(3)/2013 दिनांक 14 जुलाई, 2016 संप्रति शासनादेश संख्या-876/XXVII(7)न०प्रति०/2011 दिनांक 8 मार्च, 2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

(डी०एस० गवर्नर)

सचिव।

संख्या-२०५ / XXVII(7)25(3)/2013 तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑडरिंग भवन, राजरा, देहरादून।
- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयपाल, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं इन्सुरेंस, 23 लक्ष्मी रोड, बालनगंज, देहरादून।
- निदेशक, एन०आइ०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा में

(अरुणेश सिंह चौहान)

अपर सचिव